भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या- 118
सोमवार, 04 दिसंबर, 2023/13 अग्रहायण, 1945 (शक)

प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना के अंतर्गत व्यय

118. श्री बैन्नी बेहनन:

क्या **श्रम और रोजगार** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2012 में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) 27 प्रतिशत से घटकर वर्ष 2022 में 23.9 प्रतिशत हो जाने से निपटने के लिए कोई उपाय प्रस्तावित किए हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने युवाओं में लगातार उच्च औसत बेरोजगारी दर, जो से निपटने के लिए किसी योजना का प्रस्ताव/कार्यान्वयन किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं हेतु आवंटित किए गए बजट अनुमान 2022-23 को 15845.10 करोड़ से घटाकर बजट अनुमान 2023-24 में 12152.82 करोड़ कर दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रधानमंत्री श्रम योगी मान धन योजना (पीएम-एसवाईएम) के अंतर्गत फरवरी, 2023 तक कम व्यय किए जाने के क्या कारण हैं;

(ङ) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के कार्यबल में कितने प्रतिशत आरक्षित वर्ग शामिल हैं; और

(च) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में आरक्षित श्रेणी की कितने प्रतिशत नौकरियां रिक्त रहती हैं?

उत्तर
श्रम और रोजगार राज्य मंत्री
(श्री रामेश्वर तेली)

(क) से (च): सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (एमओएसपीआई) द्वारा वर्ष 2017-18 से करवाए जा रहे आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) से रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़े एकत्र किए जाते हैं। इस सर्वेक्षण की अवधि, जुलाई से अगले वर्ष जून तक होती है।

नवीनतम उपलब्ध वार्षिक पीएलएफएस रिपोर्टों के अनुसार, देश में वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15 वर्ष और उससे अधिक आयु की महिलाओं की अनुमानित श्रम बल भागीदारी दर (एलएफपीआर) निम्नानुसार है:

वर्ष	**महिला एलएफपीआर (% में)**
2017-18	23.3
2018-19	24.5
2019-20	30.0
2020-21	32.5
2021-22	32.8
2022-23	37.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

यह आंकड़े दर्शाते हैं कि देश में महिलाओं की श्रम बल भागीदारी दर में वर्ष 2017-18 में 23.3% की तुलना में वर्ष 2022-23 के दौरान 37.0% की पर्याप्त वृद्धि हुई है।

वर्ष 2017-18 से वर्ष 2022-23 के दौरान सामान्य स्थिति के आधार पर 15-29 वर्ष की आयु वर्ग के युवाओं की अनुमानित बेरोजगारी दर (यूआर) इस प्रकार हैः

वर्ष	बेरोजगारी दर (% में)
2017-18	17.8
2018-19	17.3
2019-20	15.0
2020-21	12.9
2021-22	12.4
2022-23	10.0

स्रोत: पीएलएफएस, एमओएसपीआई

उपरोक्त आंकड़े दर्शाते हैं कि इन वर्षों में युवाओं में बेरोजगारी दर में गिरावट की प्रवृत्ति है।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार का सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। तदनुसार, भारत सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी तथा उनके रोजगार की गुणवत्ता सहित देश में रोजगार का सृजन करने के लिए अनेक कदम उठाए हैं।

ढांचागत और उत्पादक क्षमता में निवेश से, विकास और रोजगार पर बड़ा गुणक प्रभाव पड़ता है। वर्ष 2023-24 के बजट में, पूंजी निवेश परिव्यय को लगातार तीसरे वर्ष, 33 प्रतिशत बढ़ाकर 10 लाख करोड़ रुपये करने का प्रस्ताव है, जो कि सकल घरेलू उत्पाद का 3.3 प्रतिशत होगा। विकास क्षमता और रोजगार सृजन बढ़ाने के लिए हाल के वर्षों में की गई यह पर्याप्त वृद्धि, सरकार के प्रयासों का केंद्र बिन्दु है।

भारत सरकार ने व्यवसाय को प्रोत्साहन प्रदान करने और कोविड-19 के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए आत्मनिर्भर भारत पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत, सरकार द्वारा सत्ताईस लाख करोड़ रुपए से अधिक का राजकोषीय प्रोत्साहन प्रदान किया गया है। देश को आत्मनिर्भर बनाने तथा रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए इस पैकेज में, विभिन्न दीर्घकालिक योजनाएं/कार्यक्रम/नीतियां शामिल हैं।

आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई), नए रोजगारों को सृजित करने तथा कोविड-19 महामारी के दौरान समाप्त हुए रोजगारों के पुनः सृजन हेतु नियोक्ताओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से दिनांक 01 अक्तूबर, 2020 से प्रारंभ की गई थी। लाभार्थियों के पंजीकरण की अंतिम तिथि 31 मार्च, 2022 थी। इस योजना के आरंभ से, दिनांक 23.09.2023 तक, इस योजना के तहत 60.47 लाख लाभार्थियों को लाभ प्रदान किया गया है।

सरकार दिनांक 01 जून, 2020 से प्रधान मंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि (पीएम स्वनिधि योजना) का कार्यान्वयन कर रही है ताकि कोविड-19 महामारी के दौरान प्रतिकूल रूप से प्रभावित हुए स्ट्रीट वेंडरों को, उनके व्यवसायों को फिर से शुरू करने के लिए जमानत मुक्त कार्यशील पूंजी ऋण की सुविधा मिल सके। इस योजना के तहत दिनांक 23.11.2023 तक, 78.08 लाख ऋण स्वीकृत किए जा चुके हैं।

स्व-रोजगार को सरल बनाने के लिए, सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (पीएमएमवाई) आरंभ की गई थी। इस योजना के अंतर्गत, सूक्ष्म/लघु व्यापारिक उद्यमों तथा व्यक्तियों को, अपने व्यापारिक कार्यकलापों को स्थापित करने तथा इसमें और अधिक विस्तार करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए 10 लाख रुपए तक का जमानत मुक्त ऋण प्रदान किया जाता है। इस योजना के तहत, दिनांक 17.11.2023 तक 44.41 करोड़ से अधिक ऋण खाते स्वीकृत किए जा चुके हैं।

सरकार द्वारा, वर्ष 2021-22 से शुरू होकर 5 वर्ष की अवधि के लिए 1.97 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय से उत्पादन-संबंद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजनाएं कार्यान्वित की जा रही है। इन पीएलआई योजनाओं से 60 लाख नए रोजगार सृजित होने की संभावना है।

पीएम गतिशक्ति, आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए एक परिवर्तनकारी पहल है। यह पहल सात घटकों नामतः सड़क, रेलवे, हवाई अड्डों, बंदरगाहों, जन परिवहन, जलमार्ग और लाजिस्टिक बुनियादी ढांचे द्वारा संचालित हैं। यह पहल, स्वच्छ ऊर्जा और सबका प्रयास द्वारा संचालित है जिससे सभी के लिए रोजगार और उद्यमशीलता के अत्यधिक अवसर पैदा होंगें।

भारत सरकार, पर्याप्त निवेश और सार्वजनिक व्यय वाली विभिन्न परियोजनाओं को प्रोत्साहित कर रही है और जिसमें रोजगार सृजन हेतु प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी), महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), पं. दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना (डीडीयू-जीकेवाई), और दीनदयाल अंत्योदय योजना - राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन (डीएवाई-एनयूएलएम) आदि जैसी योजनाएं शामिल हैं। इसके साथ-साथ, युवाओं की नियोजनीयता बढ़ाने के लिए कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) द्वारा राष्ट्रीय शिक्षुता संवर्धन योजना (एनएपीएस) और प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना (पीएमकेवीवाई) का कार्यान्वयन किया जा रहा है।

इन प्रयासों के अतिरिक्त, मेक इन इंडिया, स्टार्ट-अप इंडिया, स्टैंड-अप इंडिया, डिजिटल इंडिया, सब के लिए आवास जैसे सरकार के विभिन्न फ्लैगशीप कार्यक्रम आदि भी रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए ही है।

सरकार ने श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी एवं उनके रोजगार की गुणवत्ता में सुधार के लिए अनेक कदम उठाए हैं। महिला कामगारों के लिए समान अवसर तथा कार्य का अनुकूल माहौल तैयार करने हेतु श्रम कानूनों में, सुरक्षा के अनेक प्रावधान शामिल किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 में वेतन सहित प्रसूति अवकाश को 12 सप्ताह से बढ़ाकर 26 सप्ताह करने और 50 या इससे अधिक कर्मचारियों वाले प्रतिष्ठानों में अनिवार्य क्रेच सुविधा, पर्याप्त सुरक्षा उपायों के साथ रात्रि की पालियों में महिला कामगारों को अनुमति प्रदान करने आदि जैसे प्रावधान शामिल हैं।

व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य माहौल (ओएसएच) संहिता, 2020 में खुली खुदाई वाले कार्यों सहित भूमि से ऊपर की खदानों में महिलाओं को शाम 7 बजे से सुबह 6 बजे के बीच और भूमिगत खदानों में, तकनीकी, पर्यवेक्षी और प्रबंधकीय कार्यों, जहां निरंतर उपस्थिति की आवश्यकता नहीं हो, सुबह 6 बजे से शाम 7 बजे के बीच काम करने की अनुमति प्रदान करने के प्रावधान हैं।

वेतन संहिता, 2019 में प्रावधान हैं कि समान नियोक्ता द्वारा मजदूरी से संबंधित मामलों में लिंग के आधार पर कर्मचारियों के बीच किसी प्रतिष्ठान या किसी भी इकाई में किसी कर्मचारी द्वारा किए गए समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य के संबंध में किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त, रोजगार की स्थिति में समान कार्य या समान प्रकृति के कार्य, सिवाय इसके कि जहां इस तरह के कार्य में महिलाओं का रोजगार उस समय पर लागू किसी भी कानून के तहत प्रतिबंधित अथवा निषिद्ध हो, उस स्थिति में किसी भी कर्मचारी की भर्ती करते समय लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा।

महिला कामगारों की नियोजनीयता को बढ़ाने के लिए सरकार, महिला औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों, राष्ट्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों और क्षेत्रीय व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों के नेटवर्क के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षण प्रदान कर रही है।

सामूहिक रूप से इन सभी पहलों के गुणक-प्रभावों से, मध्यम से दीर्घावधि में रोजगार सृजित होने की आशा है।

कामगारों के लिए सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए बजट आवंटन, बजट अनुमान 2023-24 में 12152.82 करोड़ रुपये है, जबकि बजट अनुमान 2022-23 में यह 15845.10 करोड़ रुपये था। बजट आवंटन में कमी मुख्य रूप से आत्मनिर्भर भारत रोजगार योजना (एबीआरवाई) के तहत कम आवंटन के कारण है, जिसमें पंजीकरण दिनांक 31.03.2022 को बंद कर दिया गया था। एबीआरवाई के तहत लाभ पंजीकरण की तारीख से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जाना है।

प्रधान मंत्री श्रम योगी मान-धन योजना (पीएम-एसवाईएम) एक मांग आधारित स्वैच्छिक योजना है जिसमें भारत सरकार द्वारा समान योगदान का भुगतान किया जाता है। योजना के अंतर्गत होने वाला व्यय पंजीकरण की संख्या पर निर्भर करता है।

सार्वजनिक उद्यम सर्वेक्षण पर रिपोर्ट के अनुसार, दिनांक 31.03.2022 तक केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के कुल कर्मचारियों में से लगभग 50.20% कर्मचारी आरक्षित श्रेणी से थे, जबकि दिनांक 31.03.2021 को वे 50.14% थे। सीपीएसई में रोजगार समय-समय पर उनकी विस्तार/निवेश योजना के अनुसार उनकी आवश्यकता पर निर्भर करता है।

*****